



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 451 राँची, सोमवार 24 भाद्र 1936 (श०)
15 सितम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

9 सितम्बर, 2014

संख्या-3/नि0सं0-09-33/2014 का0- 9085--श्री कुमार लाल देव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-258/03) की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन पर आरोप की स्थिति, चारित्र्य एवं राज्य चिकित्सा पर्षद के स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करने के निर्णय के आलोक में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74(ख)(ii) के अनुसार श्री देव को अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु नोटिस भेजा गया। उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में श्री देव का दावा तथा पूर्व में राज्य चिकित्सा पर्षद के स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन के प्रतिकूल रहने की स्थिति में उनकी राज्य चिकित्सा पर्षद से पुनः जाँच कराई गई। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि श्री देव की शारीरिक स्थिति में कोई सुधार नहीं है तथा उनकी बीमारी चिर-हासमान है, जो नित-प्रतिदिन उनकी निःशक्तता में वृद्धि करेगा। ऐसी स्थिति श्री देव को सरकारी सेवा के अयोग्य ठहराती है।

2. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री कुमार लाल देव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-258/03) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74(क) एवं 74(ख) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।
